

राजा खान

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(दांडिक अपील क्रमांक-70/2025)

07 फरवरी 2025

[संजय करोल, न्यायमूर्ति एवं मनमोहन, न्यायमूर्ति]

विचारणीय मुद्दा

क्या अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता-अभियुक्त के अपराध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा -27 - परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला - अभियोजन पक्ष ने मृतक के पास से हमले के हथियार (पत्थर, गंडासा) और सोने की चेन की बरामदगी का अवलंब लिया है, जो अपीलकर्ता द्वारा हिरासत में दिए गए बयान के आधार पर है - अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 302 और 201, के तहत सिद्धदोष पाया गया है, यदि उचित हो:-

अभिनिर्धारित:- नहीं - अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है - जहां मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए, कि हर परिकल्पना को छोड़ दिया जाए, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे साबित किया जाना प्रस्तावित है और ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलना चाहिए कि यह कार्य अभियुक्त द्वारा सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर किया गया है - वर्तमान मामले में, पंच गवाहों की गवाही ने गंभीर संदेह पैदा किए हैं अपीलकर्ता द्वारा किए गए कथित खुलासे और उसके अनुसार बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष के बयान पर संदेह - अपीलकर्ता द्वारा किए गए कथित खुलासे के अनुसार पुलिस द्वारा की गई बरामदगी के संबंध में स्पष्ट विसंगतियों को अनदेखा करने अधिनस्थ न्यायालय न्यायसंगत नहीं हैं - बरामदगी के तरीके और जब्ती -पत्रक तैयार करने से भी अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए खुलासे और बरामदगी के बारे में गंभीर संदेह पैदा हुए हैं -

साथ ही, अ.सा.-23 की गवाही की पुष्टि अ.सा.-2, अ.सा.-3 और अ.सा.-5 की गवाही से नहीं हुई, इस प्रकार 'अंतिम बार देखे जाने' की परिस्थिति के संबंध में भी संदेह है - अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा - अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया गया। धाराएँ 302 और 201 के तहत दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया। [पैरा-16, 22, 30-33]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धाराएँ 25-27 – धारा 27, धारा 25 और 26 का अपवाद:

अभिनिर्धारित: धाराएँ 25 और 26 में यह प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया संस्वीकृति स्वीकार्य नहीं है - हालांकि, धारा 27 धाराएँ- 25 और 26 का अपवाद है और इन दोनों धाराओं के लिए प्रावधान के रूप में कार्य करता है - धारा 27 संस्वीकृति की स्वीकार्यता पर आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाता है - प्रतिबंध को हटाना इस हद तक नहीं है कि धारा 26 का उद्देश्य पूरी तरह से खत्म हो जाए - इस प्रकार संस्वीकृति चाहे हो या न हो, साक्ष्य में दिए जाने की अनुमति है, लेकिन केवल वह हिस्सा स्वीकार्य है जो तथ्य की खोज से स्पष्ट रूप से संबंधित है - तथ्य की खोज में पाई गई वस्तु, वह स्थान जहां से इसे प्रस्तुत किया गया है और अपीलकर्ता-अभियुक्त का इसके अस्तित्व के बारे में ज्ञान शामिल है। [पैरा 18, 19]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 27 -तत्व - चर्चा की गई। [पैरा 20]

उद्धृत केस लॉ

हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1952] 1 एससीआर 1091 : (1952) 2 एससीसी 71); शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116; दिल्ली प्रशासन बनाम बाल कृष्ण एवं अन्य।, (1972) 4 एससीसी 659 ; उदय भान बनाम उत्तर राज्य प्रदेश [1962] सप्ली.। 2 एससीआर 830 : एआईआर 1962 एससी 1116; बोधराज उपनाम बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [2002] सप्ली.2 एससीआर 67 : (2002) 8 एससीसी 45 ; वरुण चौधरी बनाम राजस्थान राज्य [2010] 13 एससीआर 296: (2011) 12 एससीसी 545; मुस्तकीम उर्फ सिराजुद्दीन बनाम राजस्थान राज्य [2011] 9 एससीआर 101 : (2011) 11 एससीसी 724 - संदर्भ लिया गया है।

धाराओं की सूची

साक्ष्य अधिनियम, 1872; दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973.

मुख्य शब्दों की सूची

परिस्थितिजन्य साक्ष्य; हत्या; लोहे का पाइप; गंडासा; पत्थर; सोने की चैन; तालाब; पत्थर की खदान; हमले में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी; अपीलकर्ता द्वारा किया गया कथित खुलासा; बरामदगी; खोज और जब्ती; जब्ती और वसूली ज्ञापन; संदेह का लाभ; खुलासे और वसूली के संस्करण के बारे में संदेह; स्वीकारोक्ति; साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27; परिस्थितियों की श्रृंखला; युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं; साक्ष्य की श्रृंखला; अंतिम बार देखा गया; पंच गवाहों की गवाही; विसंगतियाँ; टीप; गंभीर विसंगतियाँ।

प्रकरण उदभूत हुआ

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:- दांडिक अपील क्रमांक- 70/2025

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के दांडिक अपील क्रमांक -855/2014, निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.07.2023 से उदभूत ।

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलकर्ता की ओर से आशुतोष दुबे, संतोष चौरिहा, सौभाग्य चौरिहा, सुश्री राजश्री ए. दुबे, अभिषेक चौहान, एच.बी. दुबे, शोहेब अल्वी, सुश्री रुचिका शर्मा, अमित पी शाही, अमित कुमार, अधिवक्तागण उपस्थित हुए ।

उत्तरवादीगण की ओर से प्रफुल भारत, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती प्रेरणा ढल, गोपीनाथ एम.आर., राज्यवर्धन मॉल, प्रशांत सिंह, अधिवक्तागण उपस्थित हुए ।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

मनमोहन, न्यायमूर्ति

- वर्तमान अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दांडिक अपील क्रमांक - 855/2014 में पारित दिनांक 4 जुलाई, 2023 के निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया था और तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़

(जिसे आगे "विचारण न्यायालय" कहा जाएगा) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक - 42/2014 में अपीलकर्ता-अभियुक्त को सिद्धदोष पाते हुए और सजा सुनाते हुए दिनांक 12 अगस्त, 2014 के निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई थी। यह उल्लेख करना उचित है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "भारतीय दंड संहिता" के रूप में संदर्भित) की धाराओं 302 और 201 के तहत अपराध कारित करने के लिए दोषी ठहराया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध कारित करने के लिए 500/- (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और भारतीय दंड संहिता की धारा-201 के तहत अपराध कारित करने के लिए 200/- (दो सौ रुपये) के अर्थदण्ड एवं व्यक्तिक्रम की शर्तों के साथ 5 (पांच) वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

तथ्य

2. वर्तमान अपील के लिए तथ्य निम्नानुसार हैं:-

2.1. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि नीरज यादव (जिसे आगे मृतक कहा जाएगा) 29 नवंबर, 2013 को अपने घर से निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा और मृतक के पिता प्रेमलाल यादव (अ.सा.-5) ने 30 नवंबर, 2013 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चंद्रशेखर वर्मा (अ.सा.-1) ने दिनांक 1 दिसंबर, 2013 को पुलिस को सूचना दी कि गांव दौंदेकला मटिया में एक पत्थर खदान के तालाब में एक शव तैरता हुआ मिला है और सूचना मिलने पर थाना विधानसभा के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इसके पश्चात , दिनांक 2 दिसंबर, 2013 को मर्ग सूचना क्रमांक - 62/2013 (प्रदर्श-पी-17) के तहत एक मर्ग सूचना पंजीकृत की गई और मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृत्यु प्रकृति में मानव -वध थी। इसके बाद, दिनांक 3 दिसंबर, 2013 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (जिसे आगे "एफआईआर" कहा जाएगा) क्रमांक- 228/2013 पुलिस थाना- विधानसभा, जिला रायपुर में पंजीकृत की गई। मृतक के शव की पहचान बलराम यादव (अ.सा.-21) ने की, जो मृतक का चचेरा भाई था।

2.2. विवेचना के दौरान, यह पाया गया कि अपीलकर्ता-अभियुक्त ने मृतक से पैसे उधार लिए थे और उधार ली गई राशि की वापसी के संबंध में उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया था।

2.3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी -अभियुक्त ने सह-अभियुक्त ताराचंद वर्मा (जिसे विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है) के साथ

मिलकर मृतक को दरम्यानी दिन ऑटो में घटना स्थल पर ले गए और मृतक पर लोहे के पाइप और गंडासा से हमला कर उसकी हत्या कारित कर दी और साक्ष्यों को गायब करने के आशय से उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया और उसकी पूरी पैंट उतारने के बाद उसकी कमर के चारों ओर रस्सी बांध दी और शव को खदान क्रमांक-1 के पानी में फेंक दिया।

2.4. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसका परीक्षण डॉ. नितिन श्यामराव बारमाटे (अ.सा.-10) ने किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-13) के अनुसार, चोटें किसी धारदार हथियार से आई थीं और कुछ चोटें किसी कठोर और भोथरा प्रहार के परिणामस्वरूप आई थीं। यह भी कथन किया गया है कि मौत का कारण "सिर में चोट" थी और मृत्यु प्रकृति में मानव-वध थी।

2.5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे यहां "साक्ष्य अधिनियम" कहा गया है) की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता-आरोपी का एक कथन ज्ञापन (प्रदर्श-पी-23) अभिलिखित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कचना तालाब से लोहे की ब्लेड (गंडासा) और खून से लथपथ एक पत्थर की खोज और जब्ती हुई। इसके अलावा, मृतक की दो सोने की चेन भी अपीलकर्ता-अभियुक्त के घर की छत से बरामद की गई और जब्त की गई। जब्त की गई वस्तुएं यानी खून से सनी मिट्टी, मोबाइल कवर, लोहे की गोली और पत्थर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (जिसे आगे "एफएसएल" कहा जाएगा) को भेजे गए और इसकी रिपोर्ट (प्रदर्श- पी-39) में कथन किया गया है, कि जांच एजेंसी द्वारा जब्त किए गए पत्थर पर मानव रक्त के धब्बे पाए गए।

2.6. यह साबित करने के लिए कि मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ता-अभियुक्त के साथ देखा गया था, अभियोजन पक्ष ने भागवत प्रसाद साहू (अ.सा.-23) और बलराम यादव (अ.सा.-21) से पूछताछ की, जिन्होंने यह बयान दिया था कि मृतक को 29 नवंबर, 2013 को शाम 5:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच अपीलकर्ता-अभियुक्त के साथ एक ऑटो में यात्रा करते देखा गया था।

2.7. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 (जिसे आगे "दंड प्रक्रिया संहिता" कहा जाएगा) के तहत अभिलिखित किए गए और विवेचना पूरी होने के बाद, अपीलार्थी-अभियुक्त और सह-अभियुक्त ताराचंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 और धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद

में सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और अपीलार्थी -अभियुक्त और ताराचंद वर्मा के खिलाफ आरोप विरचित किए गए।

2.8. अपीलार्थी-अभियुक्त और ताराचंद वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 26 (छब्बीस) गवाहों का परीक्षण किया है और 39 (उनतीस) दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं और दूसरी ओर बचाव पक्ष के किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है ।

2.9. अपीलकर्ता-अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण किया गया, जिसमें अपीलकर्ता-अभियुक्त ने सभी आरोपों और अभियोगों से इनकार किया और निर्दोष होने का अभिवाक किया।

3. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता-अभियुक्त की ओर से तर्क सुनीं और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचन करने के बाद , सह-अभियुक्त ताराचंद वर्मा को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन अपीलकर्ता-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत अपराधों के लिए 12 अगस्त, 2014 को अपने निर्णय और आदेश के तहत सिद्धदोष पाया ।
4. उक्त निर्णय से व्यथित होने के कारण , वर्तमान अपीलकर्ता-अभियुक्त ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और दण्डादेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक दांडिक अपील प्रस्तुत की है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के तहत अपील को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मानव रक्त से सना हुआ पत्थर अपीलकर्ता-अभियुक्त के कहने पर जब्त किया गया था और दो सोने की चेन अपीलकर्ता-अभियुक्त के घर से मिली थी, जिसके बारे में अपीलकर्ता-अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा।
5. इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलकर्ता-अभियुक्त की ओर से तर्क

6. अपीलकर्ता-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सौभाग्य चौरिहा ने कथन किया है कि जांच अधिकारी द्वारा की गई जब्ती में गंभीर विसंगतियां थीं। उन्होंने कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय यह समझने में विफल रही कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता-अभियुक्त के कथन -ज्ञापन अन्वेषण अधिकारी (जिसे आगे "आईओ" कहा जाएगा) द्वारा तीरथ ध्रुव (अ.सा.-22) और भूपेंद्र ध्रुव की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था, हालांकि, भूपेंद्र ध्रुव की जांच एजेंसी द्वारा जांच नहीं की गई थी।

7. उन्होंने जोर देकर कहा कि अ.सा.-22 की गवाही के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त गवाह ने जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन कथन और संपत्ति जब्ती ज्ञापन नहीं देखा था। उन्होंने आगे कथन किया है कि अ.सा.-22 की गवाही से पता चलता है कि उसने और भूपेंद्र ध्रुव ने पुलिस स्टेशन छोड़ने से पहले वस्तुओं की जब्ती से संबंधित कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे और आईओ द्वारा जब्ती किए जाने के बाद किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
8. उन्होंने कहा कथन किया है कि अ.सा.-22 और अ.सा.-26 की गवाही के अवलोकन से पता चलता है कि प्रदर्श पी-25 में वर्णित वस्तुएं जैसे पत्थर और गंडासा अ.सा.-26 ने पुलिस अधिकारी के कहने पर कचना तालाब के तल से बरामद किए थे, न कि अपीलकर्ता-आरोपी के कहने पर।
9. उन्होंने कथन किया है कि मृतक की कथित रूप से दो सोने की चेन की टेस्ट पहचान परेड (जिसे आगे "टीआईपी" कहा जाएगा) संदिग्ध थी क्योंकि बरामदगी का स्थान यानी अपीलकर्ता-अभियुक्त के घर की छत एक खुली जगह थी, जो बाहर से आम लोगों के लिए सुलभ थी और इसका सबूत इस तथ्य से मिलता है कि घर के बाहर से छत पर चढ़कर बरामदगी की गई थी।
10. उनके अनुसार, सोने की चेन की बरामदगी की बात मनगढ़ंत थी, क्योंकि गवाहों यानी तीरथ ध्रुव (अ.सा.-22) और भूपेंद्र ध्रुव ने पुलिस अधिकारियों को अपीलकर्ता-आरोपी के घर से सोने की चेन बरामद करते हुए कभी नहीं देखा। इसके अलावा, न तो गवाहों की गवाही और न ही आईओ ने उल्लेख किया कि अपीलकर्ता -आरोपी बरामदगी-टीम के साथ था या अपीलकर्ता-आरोपी के कहने पर ही बरामदगी की गई थी।
11. उन्होंने तर्क दिया कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत अभियोजन पक्ष के मामले में मदद नहीं करता है, क्योंकि अंतिम बार देखे जाने के स्थान और समय के बारे में स्पष्ट भिन्नता और भौतिक विरोधाभास है।\
12. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता -अभियुक्त की ओर से अपराध कारित करने के हेतुक को स्थापित करने में विफल रहा है क्योंकि अपीलकर्ता -अभियुक्त ने मृतक से कितनी धनराशि उधार ली थी, यह दिखाने के लिए कोई सबूत या अभिलेख नहीं था। उनके अनुसार, अभियोजन पक्ष मृतक और अपीलकर्ता-अभियुक्त के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध को साबित करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, सिवाय अ.सा.-2 की गवाही के, जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष अस्पष्ट रूप से यह बयान दिया कि मृतक के कई दुश्मन थे, लेकिन उनमें से एक के रूप में अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम नहीं लिया और मृतक और अपीलकर्ता -

अभियुक्त के बीच पहले हुई हाथापाई से संबंधित अ.सा.-15 की गवाही विश्वसनीय नहीं थी, क्योंकि वह अपने बयान में पुलिस को यह बताने में विफल रही (प्रदर्श-डी/2)।

उत्तरवादी - राज्य की ओर से तर्क

13. इसके विपरीत, उत्तरवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रफुल भरत ने कहा कि अपराध कारित के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर की बरामदगी अपीलकर्ता-अभियुक्त के कहने पर की गई थी। अपीलकर्ता -अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-पी-23) के अनुसार, पत्थर उसके द्वारा कचना तालाब में फेंका गया था तथा अ.सा.-22, जो ज्ञापन कथन तथा जब्ती-पत्रक (प्रदर्श-पी-25) का गवाह है, ने विधिवत इसका समर्थन किया था। एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-39) के अनुसार, जब्त किए गए पत्थर पर मानव रक्त पाया गया था।
14. उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन के आधार पर, मृतक की दो सोने की चेन भी अपीलकर्ता -अभियुक्त के घर की छत से अपीलकर्ता-अभियुक्त की निशानदेही पर जब्त की गई थी , जिसे अ.सा.-22 द्वारा विधिवत साबित किया गया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि जब्त की गई सोने की चेन की पहचान अ.सा.-2 द्वारा पहचान ज्ञापन (प्रदर्श-पी-10) के माध्यम से की गई थी, जिसे गोपी साहू (अ.सा.-6) द्वारा विधिवत साबित किया गया था।
15. उन्होंने कथन किया है कि अ.सा.-23 की गवाही से यह स्पष्ट है कि मृतक को अपीलकर्ता-आरोपी के साथ उसके लापता होने से पहले और उसका शव 2 दिसंबर, 2013 को ग्राम दोंडेकला मटिया में पत्थर खदान के तालाब में तैरता हुआ मिलने पर अंतिम बार देखा गया था । उन्होंने बताया कि अ.सा.-23 के बयान की पुष्टि अ.सा.-21 के बयान से होती है, जिसे अ.सा.-23 ने 30 नवंबर, 2013 को मृतक के अंतिम बार देखे जाने और लापता होने के बारे में सूचित किया था।

तर्क

16. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद , अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, क्योंकि न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह है और न ही कोई न्यायिक रूप से स्वीकार्य स्वीकारोक्ति है। यह सुस्थापित कानून है कि जहां मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो , वहां साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को छोड़ दिया जाए , सिवाय उस परिकल्पना के जिसे साबित करने का प्रस्ताव है और ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलना चाहिए कि यह कृत्य अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर किया गया है (देखें: हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1952) 2 एससीसी

71)। शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 में, इस न्यायालय ने पांच आवश्यक सिद्धांतों को रेखांकित किया , जिन्हें अक्सर पांच स्वर्णिम सिद्धांतों के रूप में संदर्भित किया जाता है , जिन्हें अपीलकर्ता-अभियुक्त के अपराध को निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के लिए संतुष्ट होना चाहिए:-

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है , उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए , अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यात्मक नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है ,

(3) परिस्थितियां निश्चयक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए ।

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक संभावित परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए , और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि यह निष्कर्ष निकालने या अभियुक्त की निर्दोषिता को इंगित करने के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दर्शित करे कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है ।

17. आरोपों को साबित करने के लिए , अभियोजन पक्ष ने हिरासत में अपीलकर्ता - अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान (प्रदर्श- पी-23) के आधार पर हमले के हथियार (पत्थर के साथ-साथ गंडासा) और मृतक से संबंधित सोने की चेन की बरामदगी पर जोर दिया है।
18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 में यह प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया संस्वीकृति स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, धारा 27 धारा 25 और 26 का अपवाद है और इन दोनों धाराओं के लिए प्रावधान के रूप में कार्य करती है [दिल्ली प्रशासन बनाम बाल कृष्ण और अन्य, (1972) 4 एससीसी 659]।
19. इस न्यायालय का विचार है कि धारा-27 संस्वीकृति की स्वीकार्यता पर आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाती है। प्रतिबंध को हटाना इस हद तक नहीं है कि धारा -26 का उद्देश्य पूरी तरह से खत्म हो जाए। इस प्रकार बयान चाहे संस्वीकृति हो या न हो , साक्ष्य में दिए जाने की अनुमति है, लेकिन केवल वही हिस्सा स्वीकार्य है जो तथ्य की खोज से स्पष्ट रूप से संबंधित है। किसी तथ्य की खोज में पाई गई वस्तु , वह स्थान जहाँ से उसे प्राप्त किया गया है तथा अपीलकर्ता-अभियुक्त का उसके अस्तित्व

के बारे में ज्ञान शामिल है (उदय भान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1962 एससी 1116)।

20. साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के आवश्यक तत्व तीन गुना हैं:-

- i. अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना से उस तथ्य का पता लगना चाहिए जो ऐसी सूचना का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- ii. दी गई सूचना का केवल वही भाग अभियुक्त के विरुद्ध स्वीकार्य है जो स्पष्ट रूप से उक्त बरामदगी से जुड़ा है।
- iii. तथ्यों का पता लगना ऐसे अपराध के किए जाने से संबंधित होना चाहिए।

21. यह प्रश्न कि क्या बरामदगी से संबंधित साक्ष्य अभियुक्त पर दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, इस न्यायालय द्वारा **बोधराज उर्फ बोध एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य, (2002) 8 एससीसी 45** में विचार किया गया था, जिसमें निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है:-

“18... भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 (संक्षेप में “साक्ष्य अधिनियम”) धारा 25 से 26 के प्रावधान के रूप में है और पुलिस हिरासत में किया गया संस्वीकृति, जो पता लगाए गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर स्वीकार्य है। इस स्थिति को इस न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन बनाम बालकृष्ण [(1972) 4 एससीसी 659] और मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1976) 1 एससीसी 828] में संक्षेप में निपटाया था। शब्द “ऐसी बहुत सी जानकारी” जो पता लगाए गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण हैं और धारा का पूरा बल उन पर केंद्रित है। स्पष्ट रूप से स्वीकार्य जानकारी की सीमा पता लगाए गए तथ्य की सटीक प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए पिछली धाराओं द्वारा लगाया गया प्रतिबंध संभवतः विधानमंडल के इस डर से प्रेरित था कि पुलिस के प्रभाव में कोई व्यक्ति अनुचित दबाव के प्रयोग से स्वीकारोक्ति करने के लिए प्रेरित हो सकता है। यदि प्रतिबंध हटाने के लिए केवल बाद में प्रस्तुत की गई वस्तु से संबंधित जानकारी को स्वीकारोक्ति में शामिल करना आवश्यक है, तो यह अभिनिर्धारित करना उचित प्रतीत होता है कि पुलिस की प्रेरक शक्तियाँ अवसर के अनुरूप साबित होंगी, और व्यवहार में प्रतिबंध अपना प्रभाव खो देगा। प्रावधान अर्थात् धारा 27 का उद्देश्य ऐसे साक्ष्यों को स्वीकार करना था, जो धारा के अस्तित्व के बिना, पूर्ववर्ती धाराओं के परिणामस्वरूप साक्ष्य में स्वीकार नहीं किए

जा सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 27 के तहत किसी भी तथ्य की खोज के लिए साक्ष्य को स्वीकार्य बनाने के लिए , सूचना पुलिस की हिरासत में मौजूद किसी भी आरोपी से आनी चाहिए। पुलिस हिरासत की आवश्यकता अत्यंत असंगत परिणाम उत्पन्न करती है और ऐसे मामलों में बहुत मूल्यवान साक्ष्यों के बहिष्कार का कारण बन सकती है, जहां एक व्यक्ति, जिसे बाद में हिरासत में लिया जाता है और वह अभियुक्त बन जाता है, अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी से मिलता है या स्वेच्छा से उसके पास या पुलिस स्टेशन जाता है और अपराध की परिस्थितियों को बताता है जिसके कारण उससे प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप शव , हथियार या कोई अन्य भौतिक तथ्य की खोज होती है। यह जानकारी जो अन्यथा स्वीकार्य है, धारा 27 के तहत अस्वीकार्य हो जाती है यदि जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं आई है जो पुलिस अधिकारी की हिरासत में है या किसी ऐसे व्यक्ति से आई है जो पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं है। धारा 27 के तहत स्वीकार्य कथन वह है जो खोज की ओर ले जाने वाली जानकारी है। इस प्रकार, जो जानकारी स्वीकार्य है, उसे साबित करना होगा न कि पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर बनाई गई राय। दूसरे शब्दों में, हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा दी गई सटीक जानकारी जिसके कारण वस्तुओं की बरामदगी हुई , उसे साबित करना होगा। इसलिए, अभियुक्त और अभियोजन पक्ष दोनों के लाभ के लिए यह आवश्यक है कि दी गई सूचना को अभिलेखित किया जाए और साबित किया जाए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है , तो सटीक सूचना को साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अंतर्निहित मूल विचार बाद की घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि यदि किसी कैदी से प्राप्त किसी सूचना के आधार पर की गई तलाशी के रूप में कोई तथ्य खोजा जाता है, तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा दी गई सूचना सत्य है। सूचना प्रकृति में स्वीकारोक्ति या गैर - दोषपूर्ण हो सकती है लेकिन यदि इससे किसी तथ्य की खोज होती है, तो यह एक विश्वसनीय सूचना बन जाती है। यह अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि किसी वस्तु की बरामदगी धारा में परिकल्पित तथ्य की खोज नहीं है। पलुकुरी कोटय्या बनाम सम्राट [एआईआर (1947) पीसी 67] में प्रिवी काउंसिल का निर्णय , इस व्याख्या का समर्थन करने वाला सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकारी है कि धारा में

परिकल्पित "खोजे गए तथ्य" में वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु को प्रस्तुत किया गया था, अभियुक्त का उसके बारे में ज्ञान, लेकिन दी गई सूचना को उस प्रभाव से स्पष्ट रूप से संबंधित होना चाहिए। [देखें महाराष्ट्र राज्य बनाम दाम गोपीनाथ शिरडे और अन्य, (2000) 6 एससीसी 269]। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साक्ष्य में स्वीकार की जाने वाली जानकारी उस जानकारी के उस हिस्से तक सीमित है जो "उस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है जो इस प्रकार खोजा गया है"। लेकिन स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए जानकारी को इतना छोटा नहीं किया जाना चाहिए कि वह समझ से परे या समझ से परे हो जाए। स्वीकार की गई जानकारी की सीमा समझ के अनुरूप होनी चाहिए। केवल यह कथन कि अभियुक्त पुलिस और गवाहों को उस स्थान पर ले गया जहाँ उसने सामान छिपाया था, दी गई जानकारी का संकेत नहीं है।

(बल दिया गया)

22. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर हुई बरामदगी को साबित करने के लिए पंच गवाहों के रूप में तीरथ ध्रुव (अ.सा.-22) और भुवन धीमर (अ.सा.-26) को प्रस्तुत किया गया है। उक्त गवाहों की गवाही के मात्र अवलोकन से ही अपीलार्थी -अभियुक्त द्वारा किए गए कथित खुलासे और ऐसे कथित खुलासे के आधार पर हुई बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष के कथन के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।
23. तीरथ ध्रुव (अ.सा.-22) ने बयान दिया है कि जब अपीलकर्ता-अभियुक्त से उसकी मौजूदगी में पूछताछ की गई थी, तो अपीलकर्ता-अभियुक्त ने कहा था कि वह पत्थर, कुल्हाड़ी और पाइप बरामद करा सकता है। हालांकि, प्रति-परीक्षा के दौरान तीरथ ध्रुव (अ.सा.-22) ने स्वीकार किया कि वह एक अन्य गवाह (जिसे विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया) के साथ लगभग 5 (पांच) मिनट तक पुलिस स्टेशन में रहा, जिस दौरान पुलिस ने उनसे कई कागजात पर हस्ताक्षर करवाए। उक्त गवाह ने आगे स्वीकार किया कि अपीलकर्ता-अभियुक्त का कथन ज्ञापन-(प्रदर्श-पी-23) अभिलिखित किया गया था और उसने पुलिस के निर्देश पर उक्त दस्तावेज की सामग्री को पढ़े या समझे बिना उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने स्वीकार किया कि कोई भी जब्ती पत्रक मौके पर तैयार या हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। उसने कथन किया कि इन्हें पुलिस स्टेशन में तैयार और हस्ताक्षरित किया गया था। इसलिए, तीरथ ध्रुव (अ.सा.-22) की गवाही से, इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या

अपीलकर्ता-अभियुक्त ने उक्त गवाह के सामने कोई खुलासा किया था या वास्तव में तीरथ ध्रुव (अ.सा.-22) द्वारा किसी कथित बरामदगी को देखा गया था।

24. प्रदर्श- पी-25, अर्थात् पत्थर और गंडासा के लिए जब्ती-पत्रक में कथन किया गया है कि उक्त वस्तुओं को अपीलकर्ता -अभियुक्त के कहने पर निकाला गया था। इसी तरह, प्रदर्श-पी-29 में कथन किया गया है कि चैनों को अपीलकर्ता -अभियुक्त द्वारा निकाला गया था । हालांकि, तीरथ ध्रुव (अ.सा.-22) ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त जब्ती कार्यवाही के दौरान (अर्थात् जब प्रदर्श/पी-25 से प्रदर्श- पी-31 तैयार किए गए थे) उक्त गवाह और पुलिस के साथ मौजूद था। वास्तव में, प्रदर्श- पी-29 और प्रदर्श- पी-31 के अलावा कोई भी जब्ती पत्रक में यह नहीं बताया गया है कि जब्ती कार्यवाही के दौरान (अर्थात् जब प्रदर्श- पी-25 से प्रदर्श- पी-31 तैयार किए गए थे) अपीलकर्ता-अभियुक्त के साथ मौजूद था। पी-25 में कथन किया गया है कि उसमें बरामदगी अपीलकर्ता -अभियुक्त या दोषमुक्त सह - अभियुक्त के कहने पर की गई थी
25. इसके अलावा, अपीलकर्ता-आरोपी द्वारा किए गए प्रकटीकरण बयान का अवलोकन यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता-आरोपी ने कथित रूप से मृतक की सोने की चेन को लाल आवरण में लपेटकर अपने घर की छत पर हरे रंग के कंटेनर के पीछे छिपा दिया था। हालांकि, जब्ती ज्ञापन प्रदर्श- पी-29 में कथन किया गया है कि चेन घर की छत पर हरे रंग के कंबल से बरामद की गई थी। उक्त जब्ती पत्रक में आगे कथन किया गया है कि पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में अपीलकर्ता -आरोपी द्वारा सामान निकाले जाने के बाद उसे अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी ओर , अन्वेषण अधिकारी-जीएस सिंह (अ.सा.-25) ने कथन किया है कि प्रदर्श - पी-29 की जब्ती कार्यवाही के समय, वह खुद छत पर नहीं गया था और अपीलकर्ता -आरोपी और गवाह छत पर गए थे। सुसंगत रूप से, तीरथ ध्रुव (अ.सा.-22) ने अपने बयान में, अपीलकर्ता-अभियुक्त की उपस्थिति का कोई संदर्भ दिए बिना , कथन किया है कि एक पुलिसकर्मी बाहर से अपीलकर्ता-अभियुक्त के घर की छत पर चढ़ गया था और उसके बाद, वह भूपेंद्र ध्रुव के साथ उक्त छत पर चढ़ गया , जहां से चैन की बरामदगी की गई थी। अतः अपीलार्थी -अभियुक्त के घर से सोने की चेन बरामद करने के तरीके के संबंध में स्पष्ट विसंगतियां हैं तथा इसके अलावा , उक्त बरामदगी के समय अपीलार्थी-अभियुक्त की उपस्थिति भी अपने आप में संदिग्ध है।
26. इसी प्रकार, भुवन धीमर (अ.सा.-26), अर्थात् वह गोताखोर जिसने कथित रूप से कचना तालाब से पत्थर और गंडासा बरामद किया, अपनी गवाही में स्वीकार करता है कि उसने पुलिस के निर्देश पर और पुलिस द्वारा बताई गई जगह से उक्त सामान बरामद किया, बिना अपीलकर्ता-अभियुक्त की उपस्थिति का कोई संदर्भ दिए या इस

तथ्य का कि उक्त सामान अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा बताए जाने पर बरामद किया गया था। यह तथ्य कि पुलिस के निर्देश पर कचना तालाब से सामान जब्त किया गया था, तीरथ ध्रुव (अ.सा.-22) के बयान से पुष्ट होता है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि यह पुलिस ही थी जिसने गोताखोरों को तालाब में जाने और सामान बाहर निकालने का निर्देश दिया था।

27. इस न्यायालय ने वरुण चौधरी बनाम राजस्थान राज्य, (2011) 12 एससीसी 545 एवं मुस्तकीम उर्फ सिराजुद्दीन बनाम राजस्थान राज्य, (2011) 11 एससीसी 724 में अभिनिर्धारित किया है कि यदि बरामदगी-पत्रक पुलिस थाने में ही तैयार किए गए हैं या पुलिस थाने में पंच गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं, तो वे अपनी पवित्रता खो देंगे और दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए न्यायालय द्वारा उन पर अवलंब नहीं ले सकता।
28. सोने की चेन की टीआईपी में भी स्पष्ट विसंगतियां हैं, जिससे कार्यवाही अविश्वसनीय और अस्वीकार्य हो जाती है, क्योंकि अनवर हुसैन (अ.सा.-20) (जिन्होंने दो सोने की चेन की पहचान की) ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि पूर्णिमा यादव (अ.सा.-2) (मृतक की पत्नी) ने दो सोने की चेन की पहचान की थी और कथन किया था कि ये सोने की चेन मृतक की थी। उन्होंने आगे इस बात से भी इनकार किया कि उक्त दो सोने की चेन के साथ छह और ऐसी ही चेन रखी गई थीं। इस तथ्य की पुष्टि गोपी साहू (अ.सा.-6) और युगल किशोर वर्मा (अ.सा.-7) की गवाही से हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहचान के लिए केवल दो सोने की चेन रखी गई थीं।
29. इसके अलावा, गवाहों की गवाही से पता चलता है कि दोनों सोने की चेन पर कोई अलग पहचान वाला चिह्न या गुण नहीं है और पूर्णिमा यादव (अ.सा.-2) द्वारा पहचान की कार्यवाही से पहले कोई पहचान चिह्न या गुण नहीं बताया गया था। पूर्णिमा यादव (अ.सा.-2) ने अपनी गवाही में कहा है कि सोने की चेन की टीआईपी की कार्यवाही से एक दिन पहले, रसीदों/बिलों/चालान के बदले में 10 दिसंबर, 2013 को पुलिस स्टेशन में उन्हें दो सोने की चेन सौंपी गई थी।
30. इस न्यायालय का विचार है कि अपीलकर्ता-आरोपी द्वारा किए गए कथित खुलासे के अनुसरण में पुलिस द्वारा की गई बरामदगी के संबंध में स्पष्ट विसंगतियों को नजरअंदाज करने में निचली अदालतें न्यायोचित नहीं थीं। परिणामस्वरूप, बरामदगी और जब्ती ज्ञापन तैयार करने का तरीका अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रकटीकरण और बरामदगी के संस्करण के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है।

31. साथ ही, चूंकि अ.सा.-23 की गवाही अ.सा.-2, अ.सा.-3 और अ.सा.-5 की गवाही से पुष्ट नहीं होती है , इसलिए इस न्यायालय को 'अंतिम बार देखे जाने' की परिस्थिति के संबंध में भी संदेह है।
32. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए , इस न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष , अभियुक्त के अपराध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

निष्कर्ष

33. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का विचार है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त को संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। तदनुसार, अपीलकर्ता-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत दिये गये निर्णय और दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है तथा अपील स्वीकार की जाती है। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ता-अभियुक्त को अविलंब रिहा करें, जब तक कि वह किसी अन्य मामले में निरुद्ध में न हो।
34. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निराकृत किया गया ।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

† शीर्ष-टिप्पणी दिव्या पांडे द्वारा तैयार किए गए हैं ।

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।